International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 4 Issue 3, April 2020 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद–1973

डॉ. सरोज कुमावत

सहायक आचार्या प्रिंस कॉलेज – सीकर

सारांश

भारत सरकार की एक संस्था– राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) जिसका मुख्य उत्तरदायित्व भारत की शिक्षा प्रणाली के प्रति क्रियाए, धाराओं की स्थापना,मानक,एवं निरीक्षण करना है। शिक्षक तथा शिक्षक के क्षेत्रों में बदलाव तथा इनसे संबंधित सलाह प्रदान करना

How to cite this paper: Dr. Saroj Kumawat "National Council of Teacher Education-1973" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-4 | Issue-3, April 2020, pp.1200-1201, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd30860.pdf

IJTSRD30860

Copyright © 2020 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचयः

कोठारी आयोग 1964 - 66 के सुझाव के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना सन् 1973 में की 1973 - 1993 तक NCERT, NCTE के सचिवालय के रूप में कार्य करती थी। दिसंबर 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया। जुलाई 1995 से विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया।

मुख्यालय → नई दिल्ली को इसका मुख्यालय रखा गया है।

इसमें 4 क्षेत्रीय समितियां गठित की गई है।

1. उत्तर क्षेत्रीय – जयपुर
2. दक्षिणी क्षेत्रीय समिति – बेंगलुरु
3. पूर्वी क्षेत्रीय समिति – भुवनेश्वर
4. पश्चिमी क्षेत्रीय समिति – भोपाल

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन वर्तमान → वर्तमान में इस संस्था में एक्ट के अनुसार 3 पूर्णकालीन अधिकारी हैं–

जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव।

इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। इनके अतिरिक्त 52 सदस्य है जिनमें से कुछ पदेन है और शेष मनोनीत है। पदेन सदस्य में केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव यूजीसी (UGC) का अध्यक्ष,एनसीईआरटी (NCERT) का निदेशक,नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIPA) का निदेशकहै,सी.बी.एस.ई. (CBSE) का अध्यक्ष,प्लानिंग कमीशन का परामर्शदाता,केंद्रीय सरकार वित्त सहलाहकार,मुख्य सदस्य है।ऑल इंडिया काउसलिंग और टैक्निकल एजुकेशन (AICTE) का सेक्रेटरी और क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष और मनोनीत सदस्य में मुख्य सदस्य 3 सदस्य संसद से, 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से, 9 सदस्य प्रांतीय सरकार में प्रतिनिधित्व करने वालों में से और 13 सदस्य विभिन्न स्तर की शिक्षा विशेषज्ञों में से। इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 – 2 वर्ष होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 55 सदस्यों की बड़ी जमात है जिसमें शिक्षक शिक्षा विशेष का प्रतिनिधित्व बहुत कम है

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अधिकारी निम्न होते है–

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सदस्य सचिव

सदस्य राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में निम्न होते है

भारत सरकार का शिक्षा सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष–पदेननिदेशक – NCRT, पदेननिदेशक–नीपा, पदेनपरामर्श दाता–प्लानिंग कमीशन, पदेनचेयरमैन– CBSE, पदेनवित्तीय सलाहकार – पदेन सदस्य सचिव – AICTE क्षेत्रीय कार्यालयी अध्यक्ष 13 सदस्य (विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जैसे – प्रोफेसर, शिक्षा विशेषज्ञ) राज्य सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वाले 9 सदस्य, संसद के तीन सदस्य, जिनमें एक की नियुक्ति चेयरमैन कॉउंसलिंग ऑफ स्टेटस द्वारा तथा दो की नियुक्ति लोकसभा के सभापति के द्वारा तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के शिक्षों में से

उद्देश्य :– इसका मुख्य उद्देश्य निम्न है

1. संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति को योजना बंद एवं संबंधित विकास करना।
2. शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का नियमन एवं उचित अनुसर करना।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य –

यह भारतीय शिक्षक शिक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन करने का कार्य करती है और साथ ही शिक्षक–शिक्षा से संबंधित

पाठ्यक्रम की संरचना का भी निर्माण करती है। यह शिक्षक शिक्षा की व्यवस्थाओं का बारीकियों से अध्ययन करने का कार्य भी करती हैं।

1. शिक्षा के संबंधित केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों और UGC एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना।
2. सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिये मानदंड निर्धारित करना।
3. शिक्षक के संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण करना।
4. सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना।
5. सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना
6. समय–समय पर नये पाठ्यक्रम की शुरूआत करना।
7. न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना।
8. शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना।
9. सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना।
10. सभी शिक्षक संस्थानों में समन्वय स्थापित करना।
11. शैक्षिक शिक्षा के प्रसार में संतुलन बनाये रखना।
12. नई शिक्षक शिक्षा संस्थान को मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण करना तथा मानदंड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना।
13. शिक्षा के क्षेत्र में शोंध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोग को बढ़ावा देना और साथ ही शोध के स्तर को उन्नत करना।
14. शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना तथा उसके स्तरमान को बनाये रखना।

राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् द्वारा कृत कार्यों का परिणाम

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने देश में शिक्षक–शिक्षा प्रणाली के नियोजन एवं समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिये सर्वप्रथम निम्नलिखित कार्य किये है–

1. देश में पत्राचार माध्यम से बी.एड. कराने वाली शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रतिबंधित किया और दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बी.एड. के लिये दिशा–निर्देश जारी किये।
2. शिक्षक शिक्षा में प्रवेश के लिये अभ्यर्थियों के लिये स्नात्तक स्तर पर 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य किया, जो अब अद्यतन बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
3. शिक्षक शिक्षा में अस्थायी (Provisional Admission) प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।
4. बी.एड. के प्रवेशार्थी के पास स्नात्तक स्तर पर दो स्कूल विषयों का होना जरूरी किया।
5. शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था/संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् से मान्यता लेना अनिवार्य किया।
6. प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान में निम्नतम 6 शिक्षक और 60 छात्र सुनिश्चित कर दिये।
7. माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा संस्था–संस्थान के लिए अपने मान निर्धारित किये व प्रत्येक संस्थान को इसके अनुसार परिवर्तित एवं संवर्धित करना आवश्यक कर दिया।
8. शिक्षक शिक्षा संस्था/संस्थान के लिये प्राचार्य/अध्यक्ष और शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण भी किया।
9. स्कूल विषयों के शिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता के लिये विषय अध्यापक की शैक्षिक योग्यता तत्संबंधित विषय में परास्नात्तक सुनिश्चित कर दी गयी।

इस प्रकार शिक्षक शिक्षा से संबंधित निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है निजी विद्यालय शिक्षक–शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विधार्थियों के प्रवेश हेतु कोई निश्चित एवं स्पष्ट योग्यता निर्धारित नहीं करते एवं साथ है शिक्षक–शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र इसके शुल्क के कारण यह शिक्षा प्राप्त नही कर पाते यह सभी शिक्षा परिषद की सबसे बड़ी खामियां हैं। अगर हम बात करे पाठ्यक्रम की तो विद्यालयों में पाठ्यक्रम को लेकर निरंतरता देखने को नहीं मिलती। जिससे छात्रों में व्यवसायिक गुणों की प्राप्ति में कमी देखने को मिलती है और कभी–कभी परीक्षा कार्यक्रमों का देरी से होना या समय से पहले हो जाना भी इसकी खामियों का सबसे बड़ा कारण है। शिक्षक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें थोड़ी सी लापरवाही देश के भविष्य को खतरे में डाल देती हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education को अपने कार्यों एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है की वह अपनी इन खामियों में सुधार करने का प्रयास करें।

निष्कर्ष

शिक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था करना उनमें संशोधन करना, लागू करना, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षक–शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आवश्यक परिवर्तन हेतु सरकार को सुझाव देना, न्यूनतम योग्यता एवं वेतन का निर्धारण करना, कार्यक्रम करना, शिक्षक शिक्षा नवीन सूचनाओं को एकत्रित कर उसका अध्ययन करना और प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना इस परिषद का मुख्य कार्य एवं उद्देश्य हैं।